प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 13.09.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 306 भादवि के आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 23.04.2012 को वादी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि वादी की बहन विवाह का पति / अभियुक्त राजवीर पुत्र रमेश निवासी ग्राम मिलक बेनीराम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर आये दिन वादी की बहन के साथ शराब पीकर मारपीट करता था एवं परेशान करता था। इसी कारण तंग होकर वादी की बहन विवाह ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 199/2012 धारा 306 भादवि बनाम राजवीर आदि कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 13.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-02, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 306 भादवि के आरोपी अभियुक्त राजवीर पुत्र रमेश निवासी ग्राम मिलक बेनीराम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

राजवीर पुत्र रमेश निवासी ग्राम मिलक बेनीराम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 13.09.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नगीना	सददू पुत्र अब्दुल्ला निवासी मोहल्ला काजी सराय कस्बा नगीना
2	अफजलगढ	शरीफ पुत्र जमीर निवासी ग्राम मनियावाला थाना अफजलगढ बिजनौर।
3	धामपुर	फहीम पुत्र हामिद निवासी ग्राम ढकिया थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।
4	धामपुर	उस्मान पुत्र उमर निवासी ग्राम ढकिया थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

थाना नगीना

थाना अफजलगढ

थाना धामपुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 13.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 876/24 धारा 74 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.09.2024 को वादिनी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि उसकी बेटी की कक्षा मे पढने वाले एक लडके द्वारा वादिनी की बेटी के साथ छेडछाड की गई।

तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 876/2024 धारा 74 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.का0 1410 रवि अन्तिल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 13.09.2024**

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 264/2024 धारा 76/333/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.09.2024 को वादी ने अभियुक्त मुकेश सैनी पुत्र घसीटा सिंह निवासी ग्राम खानपुर मानक थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादी की माताजी के साथ छेडछाड आदि आरोप अंकित करते हुए थाना नगीना पर तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 264/2024 धारा 76/333/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मुकेश सैनी पुत्र घसीटा सिंह निवासी ग्राम खानपुर मानक थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुकेश सैनी पुत्र घसीटा सिंह निवासी ग्राम खानपुर मानक थाना नगीना जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2.का0 1056 अंकित थाना नगीना जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 13.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 870/2024 धारा 323/376/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.09.2024 को वादिनी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त दारा पुत्र छोटे निवासी ग्राम बाखरपुर गढी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा शादी करने का झांसा देकर वादिनी के साथ गलत कार्य किया गया तथा शादी की बात करने पर गाली गलौच व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 870/2024 धारा 323/376/504/506 भादवि बनाम दारा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दारा पुत्र छोटे निवासी ग्राम बाखरपुर गढी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दारा पुत्र छोटे ग्राम बाखरपुर गढी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सोहन सिंह पुण्डीर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2. का0 1606 हरेन्द्र थाना को0शहर जनपद बिजनौर।